


16/02/18

वादीगण के इनील मनुष्य वादीगण-  
उपासक । वादीगण एवम्-कील-  
वादीगण को न-पाभलमं सम-समाप्त  
तक उपासक २ सम-मं नौन-कार-  
आवाज लगाई गई।

वादीगण या वकील वादीगण-  
उपासक नहीं हुए। उपासक वादीगण  
का वाद उदम-पैनी के सम-हाजरी-  
में खारिज किया जाता है।

पञ्जाबी हुम्न-काल-द्वारे  
दाखल दफ्तर को   
सहायक कमिश्नर  
(SDO) बाड़मेर।